भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1927

02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चेन्नई में पीएमजेएवाई के लाभार्थी

1927. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक वर्ष-वार 10 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करने का लक्ष्य हासिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले चार वर्षों में विशेष रूप से उत्तरी चेन्नई संसदीय क्षेत्र में पीएमजेएवाई के कुल लाभार्थियों की संख्या राज्य/जिला-वार कितनी है;

(घ) पिछले चार वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित कुल निधियां राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एबी-पीएमजेएवाई योजना उपलब्ध कराई है;

(च) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों में लाभार्थियों की संख्या सहित ब्यौरा क्या है; और

(छ) पिछले चार वर्षों के दौरान पीएमजेएवाई योजना के अंतर्गत दावा की गई विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जो 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, जिसमें भारत की आबादी के सबसे निचले स्तर के 40% अर्थात 12.34 करोड़ परिवार शामिल हैं। एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र ने अपनी लागत पर लाभार्थी आधार का और विस्तार किया है।

दिनांक 30 जून 2024 तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के तहत 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और इस योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये की लागत से कुल 7.37 करोड़ व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी गई है। इस योजना का उपयोग पात्र लाभार्थियों द्वारा सेवाओं की मांग के आधार पर किया जाता है।

(ग): तमिलनाडु राज्य में, एबी-पीएमजेएवाई को राज्य योजना मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (सीएमसीएचआईएस) के साथ मिलकर लागू किया गया है। पिछले चार वर्षों में, तमिलनाडु राज्य में एकीकृत योजना के तहत कुल 88.59 लाख व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी गई है। इस योजना के तहत, आंकड़ो को जिले-वार एकत्र और संग्रहीत किया जाता है। तदनुसार, पिछले चार वर्षों में चेन्नई जिले में 12.64 लाख व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी गई है।

पिछले चार वर्षों में योजना के अंतर्गत अधिकृत अस्पताल में भर्ती किए गए कुल लोगों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक-I में दिया गया है। पिछले चार वर्षों में तमिलनाडु राज्य में अधिकृत अस्पताल में भर्ती कुल व्यक्तियों की जिला-वार संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-II** में दिया गया है ।

(घ): एबी-पीएमजेएवाई के तहत, कार्यान्वयन के लिए अनुदान सहायता का केंद्रीय हिस्सा योजना के तहत वास्तविक उपयोग के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा राशि का 60%/90%/100% है जो वर्तमान में प्रति परिवार प्रति वर्ष 1052 रुपये है। इसके अतिरिक्त, प्रशासन के लिए सहायता-अनुदान के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है। इस योजना के तहत कोई राज्य विशेष आवंटन नहीं है। पिछले चार वर्षों के दौरान योजना के तहत जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-III में दिया गया है** ।

(ङ) और (च): इस योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी डेटाबेस और अन्य आधार-सीडेड डेटाबेस से की गई है, जिसमें समान सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रवासी कार्मिकों के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है। एबी-पीएमजेएवाई के तहत प्रवासी कार्मिकों को नि:शुल्क उपचार की सुविधा देने के लिए, यह योजना पोर्टेबिलिटी सुविधा प्रदान करती है, जिसके तहत पात्र लाभार्थी देश के किसी भी पैनलबद्ध अस्पताल में उपचार करा सकते हैं, चाहे वह लाभार्थी किसी भी राज्य से संबंधित हो। पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत कुल अस्पताल प्रवेश प्राधिकरण की संख्या, देश भर में 3495 करोड़ रुपये के मूल्य के कुल 13.5 लाख व्यक्तियों को अस्पताल प्रवेश अधिकृत किए गए हैं।

(छ): पिछले चार वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत अधिकृत अस्पताल में भर्ती की संख्या का वित्तीय वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**अधिकृत अस्पताल में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या (करोड़ में)**	**अस्पताल में भर्ती होने की अधिकृत राशि (करोड़ रुपए में)**
1	2023-24	1.98	30,059
2	2022-23	1.60	22,920
3	2021-22	1.44	16,607
4	2020-21	0.75	8,758

स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) के अद्यतन राष्ट्रीय मास्टर में, यह योजना सामान्य चिकित्सा, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आदि सहित 27 चिकित्सा विशेषताओं में 1949 प्रक्रियाओं से संबंधित कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। राज्यों को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को और अधिक स्वनिर्धारित करने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है।

अनुलग्नक- I

पिछले चार वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24) में योजना के तहत अधिकृत अस्पताल में भर्ती कुल व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिकृत अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की संख्या (लाख में)
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	0.03
आंध्र प्रदेश	52.18
अरुणाचल प्रदेश	0.02
असम	10.01
बिहार	7.68
चंडीगढ़	0.41
छत्तीसगढ	43.50
दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	0.79
गोवा	0.05
गुजरात	30.74
हरियाणा	12.31
हिमाचल प्रदेश	2.05
जम्मू और कश्मीर	11.30
झारखंड	14.61
कर्नाटक	70.74
केरल	50.41
लद्दाख	0.12
लक्षद्वीप	0.01
मध्य प्रदेश	35.42
महाराष्ट्र	12.91
मणिपुर	1.30
मेघालय	6.42
मिजोरम	0.86
नागालैंड	0.55
पुदुचेरी	0.78
पंजाब	17.90
राजस्थान	44.90
सिक्किम	0.17
तमिलनाडु	88.63
तेलंगाना	14.95
त्रिपुरा	2.51
उत्तर प्रदेश	33.63
उत्तराखंड	9.37

अनुलग्नक - II

पिछले चार वर्षों में (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 तक) तमिलनाडु राज्य में अधिकृत अस्पताल में भर्ती किए गए कुल व्यक्तियों की संख्या का जिला-वार विवरण

ज़िला	अधिकृत अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या (हजारों में)
अरियालुर	33.30
चेंगलपट्टू	84.27
चेन्नई	1264.10
कोयंबटूर	738.90
कुड्डालोर	187.93
धर्मपुरी	67.65
डिंडीगुल	129.26
इरोड	613.88
कल्लाकुरिची	53.04
कांचीपुरम	1300.24
कन्याकुमारी	150.36
करूर	48.15
कृष्णागिरी	67.32
मदुरै	148.26
माइलादुत्रयी	20.47
नागपट्टिनम	130.07
नमक्कल	414.29
पेरम्बलुर	30.52
पुदुक्कोट्टई	94.28
रामनाथपुरम	61.90
रानीपेट	41.10
सलेम	194.61
शिवगंगा	83.29
तेनकासी	44.23
तंजावुर	115.75
नीलगिरी	268.46
थैनी	79.16
तिरुवल्लुर	141.95
थिरुवरुर	146.82
तूतीकोरिन	31.30
तिरुचिरापल्ली	289.77
तिरुनेलवेली	626.92
तिरुपथुर	184.83
तिरुपूर	70.81
तिरुवन्नामलाई	98.05
वेल्लोर	208.77
विलुप्पुरम	340.15
विरुधुनगर	255.04

अनुलग्नक - III

<u>पिछले चार वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा</u>

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.27	0.76	1.00	0.59
आंध्र प्रदेश	261.23	223.95	480.89	451.45
अरुणाचल प्रदेश	0.67	0.00	3.80	3.47
असम	12.10	87.91	209.33	292.06
बिहार	0.00	59.77	145.51	172.50
चंडीगढ़	1.84	2.49	6.41	8.96
छत्तीसगढ	112.62	66.00	352.94	195.47
दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	4.24	1.76	2.93	7.79
गोवा	0.49	0.60	0.53	1.20
गुजरात	99.84	330.55	660.15	267.48
हरियाणा	71.92	89.95	143.50	95.17
हिमाचल प्रदेश	32.93	33.71	64.32	47.91
जम्मू और कश्मीर	22.70	75.12	85.62	42.22
झारखंड	100.32	7.98	0.00	83.55
कर्नाटक	160.85	414.11	647.74	320.59
केरल	145.61	138.90	151.34	155.49
लद्दाख	1.62	0.51	1.92	1.93
लक्षद्वीप	0.00	0.31	0.15	0.07
मध्य प्रदेश	164.80	355.25	665.73	790.35
महाराष्ट्र	376.65	324.75	388.03	548.40
मणिपुर	11.45	22.50	38.55	29.17
मेघालय	49.52	22.28	47.31	49.74
मिजोरम	14.97	16.58	26.30	23.35
नागालैंड	12.27	14.09	21.69	28.60
पुदुचेरी	1.23	0.11	7.98	5.30
पंजाब	46.85	80.50	111.38	57.96
राजस्थान	258.31	96.39	416.96	606.04
सिक्किम	1.85	1.04	2.30	6.01
तमिलनाडु	359.81	75.14	578.67	681.74
तेलंगाना	0.00	150.26	173.54	135.75
त्रिपुरा	8.98	35.60	45.25	48.81
उत्तर प्रदेश	167.63	157.56	501.78	841.11
उत्तराखंड	40.52	54.23	65.11	60.21

*****